"उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्"
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष 0135– 2781941, 2781942
Website: http://ssa.uk.gov.in, E-mail - spd-ssa-uk@.nic.in
Toll Free Number:- 1800-180-4132

राज्य परियोजना निदेशक

विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

पत्रांक : रा0प0का0 / 1645 / प्रशा0विज्ञप्ति / 2022–23 दिनांक 19 अक्टूबर 2022

उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राज्य स्तर पर **समन्वयक, विधि** के 01 पद को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय सेवा में शैक्षिक संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं पद के सापेक्ष विस्तृत विवरण समग्र शिक्षा की वेबसाइट https://ssa.uk.gov.in एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाईट https://schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड / उपलब्ध है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर 2022 सांय 05 बजे तक पंजीकृत डाक से राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ0सं0 रा0प0का0 / 1645 / प्रशा0विज्ञप्ति / 2022–23 दिनांकित।
प्रतिलिपि :–

1. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के उत्तराखण्ड संस्करण में, जिसका राज्य के दोनों मण्डलों में व्यापक प्रचार–प्रसार हो, डी0ए0वी0पी0 दरों पर 10X10 वर्ग से0मी0 साईज में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य परियोजना कार्यालय को इस आशय के साथ कि उक्त आवेदन पत्र एवं सामान्य शर्तें समग्र शिक्षा की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. एम0आई0एस0 समन्वयक, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय के साथ कि उक्त आवेदन पत्र एवं सामान्य शर्तें विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(बंशीधर तिवारी)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

Scanned with CamSc

"उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्"
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष 0135– 2781941, 2781942
Website: http://ssa.uk.gov.in, E-mail - spd-ssa-uk@.nic.in
Toll Free Number:- 1800-180-4132

राज्य परियोजना निदेशक

विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या/ 1646 /प्रशा॰–प्रतिनियुक्ति/2022–23, दिनाँक 19 अक्टूबर 2022

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निम्नलिखित पद को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र॰सं.	पदनाम एवं वेतनमान	पदों की संख्या	अधिकतम आयु सीमा	तैनाती स्थल	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव
1	राज्य समन्वयक (विधि) वेतन लेवल 8 के पदधारक	1	50 वर्ष	राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा देहरादून	विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय सेवा के शैक्षिक संवर्ग में वेतन लेवल 08 के पदधारक जिन्होंने विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि को पदधारक पद पर न्यूनतम 02 वर्षों की अविरल एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई हो एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक या परास्नातक की उपाधि अधिमानी अर्हता विधि कार्यों का अनुभव (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र सहित)

1. अभ्यर्थियों हेतु निर्देश एवं शर्तें:–

1.1 निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त वाँछित योग्यताओं की प्रमाणित प्रतियों सहित **केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट** से ही स्वीकार किये जायेंगे।

1.2 आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

1.3 आवेदन पत्र के साथ आवेदक को विगत 02 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं वर्तमान में कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन न होने सम्बन्धी स्व–हस्ताक्षरित एवं सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1.4 अधिकतम आयु सीमा तथा सेवा की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को आधार मानकर की जाएगी।

1.5 अभ्यर्थी के चयन एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद परियोजना में सेवा अवधि चयनित अभ्यर्थी के कार्यों के मूल्याँकन के आधार पर निर्धारित की जायेगी। प्रतिनियुक्ति किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक का होगा।

1.6 अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन के साथ समस्त अर्हताओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। पृथक से उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

1.7 अपूर्ण आवेदन व वांछित योग्यता न रखने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। जिसकी सूचना आवेदक को दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

1.8 पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2022 की सांय 05 बजे तक राज्य परियोजना कार्यालय "उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद" ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़,

Scanned with CamScanner

रायपुर देहरादून में पहुँच जाने चाहिए। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायंगे।

1.9 आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सूचनाएं असत्य पाये जाने पर आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

1.10 वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक आवेदन के पात्र नहीं होंगें।

1.11 अर्ह आवेदकों की मैरिट सूची एवं चयनित अभ्यर्थी की सूची उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद की वेबसाईट http:/ssa.uk.gov.in एवं http:/schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड की जायेगी। चयनित अभ्यर्थी को पृथक से भी सूचित किया जायेगा।

1.12 इस विज्ञप्ति की वैधता 31 मार्च 2023 तक रहेगी तथा इस अवधि में आवश्यकतानुसार मेरिट सूची से समन्वयक की तैनाती की जायेगी।

1.13 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में यथास्थान गुणांक के आधार पर अर्जित अंकों की अंकना की जायेगी। समान अंक प्राप्त होने पर श्रेष्ठता के आधार पर अधिभार प्रदान किया जायेगा।

1.14 अभ्यर्थियों को चयन से सम्बन्धित किसी भी प्रकिया हेतु बुलाए जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

1.15 आवेदन पत्र अग्रसारित किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी माध्यमिक स्तर के लिए सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष होंगे, प्राथमिक स्तर के लिये सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, एस0सी0ई0आर0टी0 हेतु सम्बन्धित अपर निदेशक तथा डायट हेतु सम्बन्धित प्राचार्य होंगें। जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम उच्च स्तर से प्राप्त किया जायेगा। चयन होने के पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में चयन को निरस्त माना जायेगा।

2. <u>चयन प्रक्रियाः–</u>

समन्वयक के पदों पर चयन शैक्षिक गुणांक के आधार पर तैयार मैरिट के अनुरूप किया जायेगा। अंकों का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगाः–

➢ हाईस्कूल	–	प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1/10
➢ इण्टरमीडिएट	–	प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2/10
➢ स्नातक	–	प्राप्तांकों का प्रतिशत X 3/10
➢ स्नातकोत्तर	–	प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4/10
➢ बी0एड0/एल0टी0	–	प्रथम/प्रथम – 12, 12
		द्वितीय/द्वितीय – 06, 06
		तृतीय/तृतीय – 03, 03

(बंशीधर तिवारी)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

Scanned with CamSc

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
राज्य समन्वयक विधि के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवंटित कोड़ (राज्य स्तर से आवंटित किया जायेगा)

अग्रसारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो

1– आवेदित पद का नाम– ....

2– आवेदक का नाम– (हिन्दी में)..

(अंग्रेजी में)..

3– पिता/पति का नाम– ....

4– जन्म तिथि– ....

5– विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि को आयु– वर्ष–....... माह–........ दिन–........

6– वर्तमान धारित पद–.. वेतन लेवल– ....

7– वर्तमान धारित पद पर कार्य करने की तिथि– ....

8– आवेदित पद हेतु निर्धारित वेतनमान एवं धारित पद पर कुल सेवा अवधि–
वर्ष–............ माह–............ दिन–...........

9–राजकीय सेवा में सेवा अवधि का विवरण–

क्र0सं0	पदनाम (विषय सहित)	कार्य करने की तिथि		कुल अवधि	वेतनमान
		कब से	कब तक		
1					
2					
3					
4					

10–वर्तमान संस्था का नाम– ....

11–स्थायी पता– ....
....

12–पत्राचार का पता– ....
....

13–दूरभाष/मोबाइल न0– .... ई–मेल ....

14– शैक्षिक योग्यता का विवरण (अंक पत्र व प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)–

क्र0 सं0	परीक्षा	वर्ष	विषय	बोर्ड/संस्था/ वि0वि0	श्रेणी	उर्तीण प्रतिशत	अर्जित अंक
1	हाई स्कूल						
2	इण्टर						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	प्रशिक्षण (बी0एड0 आदि)						
6	अन्य						

15–संलग्नकों का विवरण–

1. 2. 3.
4. 5. 6.

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम–

अग्रसारण अधिकारी की संस्तुति एवं हस्ताक्षर–

हस्ताक्षर (नाम व मोहर सहित)

Scanned with CamSc

मा0 न्यायालयी वाद न चलने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... का किसी भी माननीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद नहीं चल रहा है तथा ना ही किसी भी प्रकार का वाद लम्बित है।

ह0/–
सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष
(नाम एवं मोहर सहित)

अनुशासनात्मक कार्यवाही न चलने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है तथा ना ही किसी भी प्रकार की ऐसी कार्यवाही गतिमान है।

ह0/–
सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष
(नाम एवं मोहर सहित)

प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालयी अभिलेखों के अनुसार श्री/श्रीमती/कु0 .... को विगत 02 वर्षों में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली है तथा ना ही किसी भी प्रकार की ऐसी कार्यवाही गतिमान है।

ह0/–
सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष
(नाम एवं मोहर सहित)

Scanned with CamSc